No. 01/162/2016-Vig/249 Vigilance Department (HO) National Institute of Fashion Technology Hauz Khas, New Delhi – 110 016.

OFFICE MEMORANDUM

Dated: 8thOctober, 2021

Sub: System Improvement regarding use of official vehicle for personal purposes.

It has been brought to the notice that official vehicles are being used for outstation private journey.

As per Rule 10(i) of Staff Car Rules, "local journey" means a journey within the municipal limits of the town or city in which the duty point is located. Therefore, using staff car beyond the municipal limit of the city cannot be permitted.

Further, the Ministry of Finance, vide OM No. F-3(16)-E.II(A)/79 dated 14.09.1979 and F. 3(6)-E.II (A)/81, dated 17.10.1981 had decided that the use of staff cars for non-duty purposes allowed to a limited extent subject to payment of charge (Rule 16 to Rule 22) should be discontinued with immediate effect.

Since NIFT Establishment Manual permits use of staff car for private purposes upto 500 k.m. per month, it has been decided that all Directors and other eligible Officers of NIFT are permitted to use the official vehicle on payment of applicable charges upto 500 K.M. only within the municipal limits of the town or city in which the duty point is located. In no case, the vehicle should go beyond the municipal limits of the town/city.

This issues with the approval of Director-General, NIFT.

(Richa Gaharwar) Chief Vigilance Officer

Mar

To,

- 1. All Campus Directors, NIFT
- 2. Director (F&A), NIFT
- 3. Director (HO), NIFT
- 4. Registrar, NIFT
- 5. Dean, NIFT
- 6. Director (IT) with the request to make this available on the website of NIFT under 'Vigilance Corner'
- 7. Office Copy.

संख्या 01/162/2016-Vig/**249** सतर्कता विभाग (मुख्यालय) राष्ट्रीय फ़ैशन प्रोद्योगिकी संस्थान हौज़ खास, नई दिल्ली - 110 016.

दिनांक: 8 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: निजी उद्देश्यों के लिए सरकारी वाहन के उपयोग के संबंध में प्रणाली में सुधार।

यह ध्यान में आया है कि सरकारी वाहनों का उपयोग बाहरी निजी यात्रा के लिए किया जा रहा है।

स्टाफ कार नियमों के नियम 10(i) के अनुसार, "स्थानीय यात्रा" का अर्थ उस शहर या शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर की यात्रा है जिसमें ड्यूटी पॉइंट स्थित है। इसलिए, शहर की नगरपालिका सीमा से परे स्टाफ कार का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इसके अलावा, वित मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-3(16)-ई.II(ए)/79 दिनांक 14.09.1979 और एफ.3(6)-ई.II(ए)/81, दिनांक 17.10.1981 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि शुल्क के भुगतान (नियम 16 से नियम 22) के अधीन सीमित सीमा तक गैर-ड्यूटी उद्देश्यों के लिए स्टाफ कारों के उपयोग को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए।

चूंकि निफ्ट स्थापना नियमावली 500 किमी तक निजी उद्देश्यों के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमित प्रदान करती है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी निदेशकों और अन्य पात्र अधिकारी प्रति माह लागू शुल्क के भुगतान पर 500 किमी तक की निजी यात्रा आधिकारिक वाहन का उपयोग करते हुए केवल उस की नगरपालिका सीमा के भीतर जिसमें इ्यूटी प्वाइंट स्थित है, में ही कर पाएंगे। किसी भी स्थिति में वाहन शहर या शहर की नगरपालिका (जहां इ्यूटि स्टेशन है) सीमा से आगे नहीं जाना चाहिए।

इसे महानिदेशक, निफ्ट के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

्रिय (ऋचा गहरवार) मुख्य सतर्कता अधिकारी

सेवा में

- 1. सभी कैंपस निदेशक, निफ्ट
- 2. निदेशक (वित एवं लेखा), निफ्ट मुख्यालय
- 3. निदेशक (मुख्यालय)
- 4.डीन निफ़्ट
- 5.रजिस्ट्रार
- 6. निदेशक (आईटी) 'विजिलेंस कॉर्नर' के तहत इसे निफ्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ।
- 7. कार्यालय प्रति।